न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण सं. 22/2021
स्टेट जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, रावतसर

प्रार्थी

बनाम

भगवानराम पुत्र जालुराम उचित मूल्य दुकानदार पूरबसर तह0 रावतसर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्री दलवीर सिंह अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांकः –26.03.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक रावतसर जिला हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.08.2017 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा गठित जांच दल ने भगवानराम पुत्र जालूराम उचित मूल्य दुकानदार पूरबसर तहसील रावतसार जिला हनुमानगढ़ की जांच की। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार स्वयं मिला तथा आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध करवाया तथा गवाहों के समक्ष उचित मूल्य दुकान की जांच करवाई। भगवानराम पुत्र जालूराम उचित मूल्य दुकानदार पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र जारी है। दिनांक 29.08.2017 को जांच दल द्वारा दौरान जांच उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 10.50 लीटर केरोसिन तथा 31.50 किलो चीनी स्टॉक में अधिक पायी गयी। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा चीनी का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किया एवं केरोसीन के बिल प्रस्तुत किये गये। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक अभियोजन/940/दिनांक 01.09.2017 द्वारा मन देवेन्द्र आसेरी प्रवर्तन निरीक्षक रावतसर को पाबन्द किया गया कि उक्त अधिक पाई गई 10.50 लीटर केरोसीन व 31.50 किलो अधिक पाई चीनी को जरिये फर्द जब्त कर प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए में प्रस्तुत करें। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 19.09.2017 को उचित मूल्य दुकान भगवानराम पुत्र जालूराम पूरबसर पर पहुंचकर अधिक पाया 10.50 लीटर केरोसीन व 31.50 किलो चीनी को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया तथा मौके पर ही कुलदीप चुघ पुत्र गिरधारी चुघ उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं0 16, रावतसर की सुपुर्दगी में दी गई। इस प्रकार भगवानाराम पुत्र जालूराम उचित मूल्य दुकानदार पूरबसर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

5, 11, 17 सी का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा लेवी चीनी 31.50 किलो चीनी मय बारदाना व 10.50 लीटर केरोसीन मय जरिकेन को राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा लेवी चीनी जल्दी खराब होने तथा केरोसीन ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 03.10.2017 को दिये जा चुके है। जिसकी पालना में जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पत्रांक 34583 दिनांक 24.05.2022 द्वारा राशि 840/– जरिये चालान नं0 62565179 दिनांक 24.05.2022 से राजकोष में जमा करवाई जाकर रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आकर अपना जवाब प्रस्तुत किया।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया है प्रवर्तन निरीक्षक रावतसर द्वारा वरवक्त जांच आपूर्ति मात्रा व पॉस से वितरित मात्रा से अन्तर करने पर वांछित मात्रा तथा भौतिक सत्यापन करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होनी चाहिये परन्तु उचित मूल्य दुकानदार के पास वांछित मात्रा से अधिक स्टॉक पाये जाने पर अधिक स्टॉक को जब्त किया गया है। वांछित मात्रा से अधिक भौतिक स्टॉक में 10.50 लीटर केरोसीन तथा 31. 50 किलो चीनी पायी गयी है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 11, 17 सी का स्पष्ट उल्लंघन किया है। उक्त कार्य राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा सामान राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि दिनांक 29.06.2017 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा गठित जॉच दल ने भगवानाराम पुत्र जालूराम, उचित मुल्य दुकानदार, पूरबसर तहसील रावतसर की जॉच करने पर 10.50 लीटर मिट्टी तेल व 31.50 किलो चीनी अधिक पाई है। वरवक्त जॉच उचित मुल्य दुकानदार ने मिट्टी तेल एवं चीनी के बिल व स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किये। जॉच दल द्वारा निर्देश दिये जाने पर श्री देवेन्द्र आसेरी, प्रवर्तन निरीक्षक, रावतसर ने यह प्रकरण प्रस्तुत किया एवं चीनी व मिट्टी तेल अन्य डीलर कुलदीप चुघ की सुपुदर्गी में दिये गये एवं यह अभिकथन किया गया कि 10.50 लीटर मिट्टी तेल व 31.50 किलो चीनी को राजसात फरमाया जावे। प्रवर्तन निरीक्षक, रावतसर ने ना तो मौका पर कोई जॉच की। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल के किस सदस्य द्वारा नाप–तोल किया गया एवं स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर की

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

जॉच किये बिना मिथ्या प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया। विधि का यह प्रावधान है कि जब तक स्टॉक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर को जप्त कर वितरण की गई वस्तुओं की जॉच किये बिना एवं राशनकार्ड धारियों को वितरण की गई वस्तुओं की जॉच नही की जाती, तब तक उक्त आक्षेप नही लगाये जा सकते, लेकिन हस्तगत प्रकरण में मात्र जॉच दल के निर्देश पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई जो विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। भगवानाराम को जिस समय से अनुज्ञापत्र से आवंटित किया गया है, उस समय से लेकर अभिकथित जॉच के समय तक किसी भी प्रकार से आरोपित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक सावतसर द्वारा समक्ष जांच आपूर्ति मात्रा व पॉस से वितरित मात्रा से अन्तर करने पर वांछित मात्रा तथा भौतिक सत्यापन करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होनी चाहिये परन्तु उचित मूल्य दुकानदार के पास वांछित मात्रा से अधिक स्टॉक पाये जाने पर अधिक स्टॉक को जब्त किया गया है। वांछित मात्रा से अधिक भौतिक स्टॉक में 10.50 लीटर केरोसीन तथा 31.50 किलो चीनी पायी गयी है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 11, 17 सी का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी स्टेट जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सावतसर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा लेवी चीनी 31.50 किलो चीनी मय बारदाना व 10.50 लीटर केरोसीन मय जरिकेन को जिसका अन्तरिम निस्तारण कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03.10.2017 की पालना में जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पत्रांक 34583 दिनांक 24.05.2022 द्वारा राशि 840/– जरिये चालान नं0 62565179 दिनांक 24.05.2022 द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गयी है, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner